<u>न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर</u>

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

एल0आर0 अपील संख्या :–94/2017/कैम्प टोंक

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री रंगलाल जाति जाट निवासी ग्राम लतीफगंज तहसील व जिला टोंक।

–अपीलांट

बनाम

1. ग्राम पंचायत चन्दलाई जरिये सरपंच ग्राम पंचायत चन्दलाई तहसील व जिला टोंक(राज0)
2. छीतर पुत्र श्री रंगलाल जाति जाट निवासी ग्राम लतीफगंज तहसील व जिला टोंक(राज0)
3. मोहन पुत्र श्री रंगलाल जाति जाट निवासी ग्राम लतीफगंज तहसील व जिला टोंक(राज0)
4. घीसी पुत्री श्री रंगलाल जाति जाट निवासी ग्राम लतीफगंज तहसील व जिला टोंक(राज0)
5. फूमा पत्नि बिरधा जाति जाट निवासी ग्राम लतीफगंज तहसील व जिला टोंक(राज0)
6. प्रेम पुत्री बिरधा जाति जाट निवासी ग्राम लतीफगंज तहसील व जिला टोंक(राज0)
7 परभी पुत्री बिरधा जरिये सरपरस्ती माता फूला पत्नि बिरधा जाति जाट निवासी ग्राम लतीफगंज तहसील व जिला टोंक(राज0)
8. बाबू पुत्र बिरधा जाति जाट निवासी ग्राम लतीफगंज तहसील व जिला टोंक(राज0)
9. गिर्राज पुत्र बिरधा जाति जाट निवासी ग्राम लतीफगंज तहसील व जिला टोंक(राज0)
10. हनुमान पुत्र नाथू जाति जाट निवासी ग्राम लतीफगंज तहसील व जिला टोंक(राज0)
11. भारतीय स्टेट बैंक शाखा टोंक
12. तहसीलदार जी टोंक
13. उप पंजीयक टोंक

–रेस्पोंडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी टोंक दिनांक 31.05.2017 प्रकरण उनवानी छीतर बनाम ग्राम पंचायत चन्दलाई।

<u>उपस्थित अभि0:–</u>

1. अपीलांट अभि0:–श्री कृष्णगोपाल शर्मा
2. रेस्पोंडेंट अभि0–अनुपस्थित

<u>निर्णय</u> **दिनांकः–17.02.2023**

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम लतीफगंज के खसरा नम्बर 22 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 57 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा कुल किता दो कुल रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 247 रकबा 4 बीघा 17बिस्वा में से आधा हिस्सा भूमियां रंगलाल पुत्र माधोजाट के नाम दर्ज थी। रंगलाल की मृत्यु दिनांक 15.01.1994 को हो चुकी है। तहसीलदार द्वारा दिनांक 28.12.2001 को नामान्तरण संख्या 180 स्वीकार किया गया तथा भूमियां छितर, मोहन, लक्ष्मीनारायण पिता रंगलाल व घीसी पुत्री रंगलाल जाट के नाम दर्ज हुई थी। उक्त नामातंरण की अपील छितर (रेस्पोडेंट संख्या 2) द्वारा उपखण्ड अधिकारी टोंक के समक्ष प्रस्तुत की गई। जिसे 6/2015 नम्बर पर दर्ज किया गया। दिनांक 31.05.2017 को उपखण्ड अधिकारी द्वारा लोकअदालत चन्दलाई में नामातंरण संख्या 180 दिनांक 28.12.2001 ग्राम पंचायत चन्दलाई को खारिज कर दिया तथा प्रकरण पुनः तहसीलदार टोंक को

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:22:27 IST
Reason: SelfAttested

विधिसम्मत सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया। उपखण्ड अधिकारी टोंक के उक्त निर्णय दिनांक 31.05.2017 से व्यथित होकर वर्तमान अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की गई है–

1. लोकअदालत में राजीनामें से ही पक्षकारों की उपस्थिति में निर्णय किया जाता है जबकि लोकअदालत ग्राम पंचायत चन्दलाई में कोई भी पक्षकार तथा अभिभाषक उपस्थित नही हुए।

2. छितर द्वारा एक वाद स्थाई निषेधाज्ञा बाबत 158/2015 उपखण्ड अधिकारी टोंक न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जो विचाराधीन है।

3. अपीलांट का हिस्सा विवादित भूमियों में 1/4 है तथा इसी अनुसार वह भूमि पर काबिज है तथा अपीलांट के पिता का नाम सरकारी दस्तावेजों में रंगलाल ही अंकित किया हुआ है। अपील स्वीकार की जायें और अपीलाधीन निर्णय उपखण्ड अधिकारी टोंक दिनांक 31.05.2017 निरस्त किया जायें। नामातंरण संख्या 180 दिनांक 28.12.2001 यथावत रखा जायें।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम प्रार्थना पत्र , स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किये है। एक अन्य प्रार्थना पत्र प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की छूट हेतु प्रस्तुत किया है। अपील के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को नोटिसेज जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय से रिकोर्ड तलब किया जाकर प्राप्त किये गये।

बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील अपीलांट उपस्थित रहे। रेस्पोडेंट वकील अनुपस्थित रहें। बहस के दौरान वकील अपीलांट ने बताया कि रंगलाल के तीन पुत्र और एक पुत्री है। विरासती नामातंरण 180 दिनांक 28.12.2001 रेस्पोडेंट छितर ने उपखण्ड अधिकारी के यहां मेरे खिलाफ अपील प्रस्तुत की। जिसमें यहां बताया गया कि मैं अन्य के गोद चला गया था। उपखण्ड अधिकारी के द्वारा दिनांक 31.05.2017 को लोकअदालत चन्दलाई में निर्णय पारित किया है। नामातंरण संख्या 180 खारिज कर दिया है। जबकि कोई भी पक्षकार और वकील उपस्थित नही थे।

बहस बिन्दुओं पर मनन किया गया। सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के अनुसार रेस्पोडेंट छितर ने दिनांक 31.07.2017 को नामातंरण संख्या 180 के निरस्त होने की बात बतायी थी। उसी दिन नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। नकल दिनांक 03.08.2017 को प्राप्त हुई। बिना देरी के अपील प्रस्तुत की गई है। देरी को क्षमा किया जायें। चूंकि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलांट को नही थी। क्योंकि निर्णय उसकी अनुपस्थिति में किया गया था। निर्णय दिनांक 04.08.2017 को प्रस्तुत करना पाया जाता है। अतः अपील अपीलांट जानकारी दिनांक से अंदर मियाद शुमार की जाती है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के अनुसार विवादित भूमियां उनके पिता के नाम थी। जो बाद में उनके वारिस तीन पुत्रों व एक पुत्री के नाम आई थी। प्रार्थी अपीलांट के नाम 1/4 भूमि आई है। अपीलाधीन निर्णय की आड़ में रेस्पोडेंट उसे बेदखल करने पर आमादा है। अपीलाधीन निर्णय की क्रियान्विति को स्थगित रखा जायें एवं राजस्व रिकोर्ड और मौका स्थिति को यथावत रखा जायें। इस पर एकपक्षीय बहस सुनकर आरम्भिक स्टेज पर ही सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा तत्समय दिनांक 04.08.2017 को अपीलाधीन निर्णय की यथास्थिति रखे जाने का आदेश दिया है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपने अपील प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। जिसमें उन्होंने प्रमाणित प्रतिलिपी प्रस्तुत करने से छूट देने बाबत निवेदन किया है। उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार अपीलांट को नामातंरण की प्रति नहीं मिली है। इस समय फोटोप्रति प्रस्तुत की जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:22:27 IST
Reason: SelfAttested

रही है। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु प्रयास किया जा रहा है। जो उसे अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। अतः प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने से उसे छूट प्रदान की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी टोंक के यहां प्रस्तुत अपील में छितर ने यह कहां है कि रंगलाल ने अपनी मृत्यु से पूर्व लक्ष्मीनारायण वर्तमान अपीलांट को अपने बड़े भाई स्वर्गीय सरलाल की विधवा श्रीमति जमरी बेवा सरलाल के यहां गोद दिया था। रंगलाल की मृत्यु के बाद जो नामातंरण स्वीकृत हुआ उसमें लक्ष्मीनारायण का नाम भी शामिल कर लिया गया है। जबकि वह अन्य जगह गोद जा चुका है। अतः यह भी कहा है कि नामातंरण की कार्यवाही के दौरान जांच नहीं की गई तथा मुझ छितर को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। लक्ष्मीनारायण के गोद बाबत बड़वाओं की पोथी में अंकन है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा उक्त बड़वा के रिकोर्ड के आधार पर निर्णय नहीं लिया जाकर लोकअदालत ग्राम पंचायत चन्दलाई में दिनांक 31.05.2017 को किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से संबंधित पत्रावली प्रकरण संख्या 6/2015 की ऑर्डरशीट दिनांक 02.08.2015 से 31.05.2017 का अवलोकन किया गया। दिनांक 04.11.2016 को यह अंकित किया हुआ है। वकील पक्षकारान उपस्थित पत्रावली वास्ते जवाब एवं वकालतनामा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 दिनांक 19.12.2016 को पेश हो। दिनांक 28.04.2017 को जवाब बंद कर दिया गया और पत्रावली को बहस हेतु दिनांक 14.06.2017 को रखा गया। मगर उससे पूर्व ही दिनांक 31.05.2017 को फैसला कर दिया गया। दिनांक 31.05.2017 की प्रोसिडिंग निम्नानुसार है–''**पत्रावली राजस्व लोकअदालत कैम्प चन्दलाई में पेश हुई। पक्षकारान अनुपस्थित। वकील पक्षकारान की बहस सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया। अपील वादी स्वीकार की जाकर नामातंरण संख्या 180 दिनांक 28.12.2001 ग्राम पंचायत चन्दलाई तहसील टोंक खारिज किया जाता है। प्रकरण पुनः अग्रेषित कर तहसीलदार टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वादी की सुनवाई कर पुनः निर्णय पारित करें। पक्षकारान तहसीलदार टोंक के समक्ष उपस्थित होकर अपना–अपना पक्ष प्रस्तुत करें।**'' उक्त निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि पक्षकार उपस्थित नहीं हुए। रेस्पोडेंट से कोई जवाब नहीं लिया जाकर बिना पक्षकारों की सहमति से लोकअदालत के माध्यम से निर्णय नही किया जा सकता है। लोकअदालत में वही मामले निपटाऐं जा सकते है जिनमें पक्षकारों की आपसी सहमति हों। मूल नामातांरण को तलब किया जाकर अवलोकन किया गया। उक्त नामातंरण ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत न किया जाकर तहसीलदार टोंक द्वारा स्वीकृत करना पाया जाता है। जिसकी अपील उपखण्ड अधिकारी टोंक में न होकर ए0डी0एम या जिला कलक्टर न्यायालय में होनी चाहिए थी। उक्त विधि स्थापित प्रकिया का पालन नहीं किया गया है और उपखण्ड अधिकारी द्वारा गलत तरीके से अपील को क्षेंत्राधिकार में मानते हुए निर्णय किया गया जो उचित नही है। जहां तक गुणावगुण पर अपील को देखा जायें तो छितर द्वारा जो वाद उपखण्ड न्यायालय टोंक में प्रस्तुत किया गया था। उसका मुख्य सार यह था कि वर्तमान अपीलांट लक्ष्मीनारायण अन्य जगह गोद चला गया है। मगर इस बाबत किसी राजस्व रिकोर्ड की प्रतिलिपी उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है। जिसमें यह पता लगता हो कि रंगलाल के भाई सरलाल की एवं उसकी विधवा की भूमियें में लक्ष्मीनारायण को कोई हक हिस्सा प्राप्त हुआ हों। ऐसी स्थिति में न्यायालय का यह मानना है कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा क्षेत्राधिकार के बिन्दु का उल्लघंन करते हुए प्रकरण को अपने क्षेत्राधिकार में मानते हुए निर्णय दिया गया है तथा मेरिट पर निर्णय नहीं दिया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 13:22:27 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व लोकअदालत में आपसी सहमति से ही प्रकरणों का निपटारा किया जाना चाहिए जो उसके द्वारा नहीं किया गया है तथा छितर द्वारा कोई सहमति नहीं दी गई थी। साथ ही छितर द्वारा लक्ष्मीनारायण के गोद जाने बाबत कोई रिकोर्ड के दस्तावेज

प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी अवस्था में अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.05.2017 निरस्त योग्य है तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अपील द्वारा अपीलांट स्वीकार की जाती है। प्रकरण संख्या 6/2015 छितर बनाम ग्राम पंचायत चन्दलाई नामातंरण अपील उपखण्ड अधिकारी न्यायालय टोंक निर्णय द्वारा उपखण्ड अधिकारी दिनांक 31.05.2017 अपास्त किया जाता है। नामातंरण संख्या 180 ग्राम चन्दलाई दिनांक 28.12.2001 पुनः बहाल किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 17.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:22:27 IST
Reason: SelfAttested